the Central Government as well as the State Governments are the appropriate Governments, for the fixation/revision of Minimum Wages for the scheduled employments falling under their respective jurisdiction. The State Government/U.T. administration have been advised to revise the Minimum Wages within a period not exceeding two years, or on rise of fifty points in the consumer price index numbers, whichever is earlier. They have also been advised to consider payment of variable dearness allowances linked to the Consumer Price Index number in the Minimum Wages.

प्रसूति अवकाश की प्रसुविधा पर प्रतिबंध लगाया जाना

753. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या श्रम मंत्री 20 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2446 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में तीसरे बच्चे के जन्म लेने पर प्रसूति अवकाश को समाप्त करने संबंधी प्रस्तावित संशोधन कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Formulation of New Labour Policy

754. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government has formulated a new labour policy;

(b) if so, whether the Draft of the new labour policy is before the Cabinet for approval;

(c) if so, the details of the new labour policy; and

(d) by when it is likely to be announced and implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (b). The labour policy of the Government of India is embodied in several laws passed by the Parliament from time to time covering the principal areas of industrial relations, social security and occupational health and safety. The policy is also embodied in special laws meant for the benefit of unorganised workers. These laws are amended from time to time to be consistent with general policy approaches that emerge from national level tripartite consultations and conventions of the International Labour Organisation ratified by the Government of India. This is a continuous process.

महिला श्रमिकों पर अत्याचार

755. **श्री राम नरेश यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महिला श्रमिकों के शोषण और अत्याचारों को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उनकी मजदूरी निर्धारित करने और उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कौन-कौन सी नीतियां बनाये जाने की संभावना है; और

(ग) महिला श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ग) सभी कर्मकारों को विधिक संरक्षा उपलब्ध होने के अतिरिक्त विभिन्न श्रम कानूनों अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952 आदि में महिला कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, कल्याण,